न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 54 / 2020 अपील / डूंगरपुर (GCMS 2020/00055)
पंजीयन दिनांक– 02.09.2020
निर्णय दिनांक– 14.01.2021

1. श्री देवजी पिता भाणजी पटेल, निवासी डोली, ग्राम पंचायत गामडी देवकी, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्री जीवण पिता भाणजी पटेल, निवासी डोली, ग्राम पंचायत गामडी देवकी, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्री भूरा पिता भाणजी पटेल, निवासी डोली, ग्राम पंचायत गामडी देवकी, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. श्री रतन पिता भाणजी पटेल, निवासी डोली, ग्राम पंचायत गामडी देवकी, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री जवाना पिता कलाजी रेबारी, निवासी धाणी खजुर, ग्राम पंचायत भेवडी, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती डाई पत्नि जवाना रेबारी, निवासी धाणी खजुर, ग्राम पंचायत भेवडी, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. श्री लक्ष्मण पिता प्रभुलाल रेबारी (देासी), निवासी धाणी, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
4. सरकार जरिये तहसीलदार, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :

श्री मनीष शर्मा	:	अधिवक्ता अपीलान्ट्स
श्री संजय बोहरा	:	अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
राजकीय अभिभाषक	:	रेस्पोडेंटस संख्या–4

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर
के प्रकरण संख्या 04/2020 निर्णय दिनांक 16.03.2020

निर्णय

दिनांक–14.01.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 04/2020 निर्णय दिनांक 16.03.2020 के विरूद्ध दिनांक 22.06.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा डोली के खसरा नम्बर 857, 855, 1044 कुल रकबा 10.5 बीघा (जिसमें आराजी नम्बर 857 रकबा 6 बीघा है।) भूमि रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 श्री जवना पिता कलाजी एवं डाई पत्नि जवाना रेबारी निवासी धाणी खजूर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कैम्प गामडी देवकी पर जरिये मिसल नम्बर 1172/10 दिनांक 31.12.2010 को गैर खातेदारी हक पर आवंटन की गयी थी। उक्त आवंटित की गई भूमि आराजी नम्बर 857 बाद आवंटन आराजी नम्बर 2918/857 रकबा 06 बीघा पर अपीलांट्स ने अपना पुराना कब्जा–काश्त होना एवं उनके खातेदारी भूमि से सटी हुई बताते हुए खसरा नम्बर 857 रकबा 06 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालया में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने जरिये प्रकरण संख्या 04/2020 निर्णय 16.03.2020 से प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2020 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया ***"पत्रावली के साथ संलग्न उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं बहस में की गई दलीलों पर घोर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि:–***

प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण नम्बर 1, 2 को गैर खातेदारी हक पर दिनांक 31.12.2010 को आवंटन की गई भूमि का आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु नियम 14(4) के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है लेकिन अप्रार्थीगण नम्बर 1, 2 ने आवंटित भूमि को अप्रार्थी नम्बर 3 को जरिये पंजीयन दस्तावेज विक्रय विलेख से दिनांक 22.10.2014 को विक्रय कर दी गई है एवं उक्त भूमि अप्रार्थी नम्बर 3 श्री लक्ष्मण पिता प्रभूलाल रेबारी (देवासी) निवासी धाणी खातेदार के नाम से दर्ज है जिसकी पुष्टि जमाबंदी/खतौनी संवत 2074–77 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण सिविल प्रक्रिया का हो जाता है यानि सिविल न्यायालय में सुनवाई के श्रवणाधिकार में आता है। यदि प्रार्थी चाहे तो उक्त भूमि के हुए बैनामा दस्तावेज/विक्रयनामा दिनांक 22.10.2014 के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह सक्षम न्यायालय में वाद पेश कर दाद हासिल कर सकता है। अप्रार्थीगण को वर्ष 2014 में समस्त शर्तो की पूर्ति करने के फलस्वरूप खातेदारी प्रदान कर दी गई। ऐसे में एक खातेदार को आंवटन के 10 वर्षो के पश्चात एवं खातेदारी प्राप्त करने के 06 वर्ष पश्चात आवंटन आदेश को निरस्त करना विधि योग्य प्रतित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त/खारिज किया जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या–4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्षों की बहस दिनांक 08.01.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 के नाम से आवंटित तीनों खसरा नम्बर में से खसरा नम्बर 857 रकबा 6 बीघा भूमि आवंटित की गई है उक्त भूमि पर

अपीलांट्स का पुराना कब्जा–काश्त होकर उक्त अपीलांट्स की खातेदारी भूमि से सटी हुई है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट्स का कभी भी कब्जा नही रहा है। अपीलांट्स का ही आदिनांक तक निरंतर कब्जा चला आ रहा है तथा खलिहान के रूप में उपयोग में लाते रहे है एवं उस पर खेतों की फसल व घास को संग्रहित करते आ रहे है तथा बाड भी लगा रखी है। आवंटित कथित भूमि से सटकर ही ग्राम धाणी तरफ जाने का ग्रामीण ग्रेवल रोड स्थित है अपीलांट्स इस भूमि से होकर आवागमन करते है। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 ने तत्कालीन कर्मचारियों से मिलीभगत से अपीलांट्स के पीठ पीछे बगैर जानकारी गुपचुप तरीके से नियमों के विपरित अवैध रूप से कागजों में आवंटित करवाते हुए रेकार्ड में अंकित करवा ली जो निरस्त योग्य है। आवंटन नियमों के विपरित किया गया है। रेस्पोडेंट्स को आवंटित भूमि रोड के पास स्थित है एवं अपीलांट्स के खेतों में जाने का रास्ता है। रेस्पोडेंट्स अन्य ग्राम धाणी खजूर, तहसील आसपुर के रहने वाले है। आवंटन सलाहकार समिति का कौरम पूर्ण नही था सिर्फ तहसीलदार ने ही आवंटन आदेश पर हस्ताक्षर किये है। रास्ते से 50 गज की भूमि छोडकर ही आवंटन नियम 1970 के नियम 4 (एफ) के तहत ही आवंटन किया जाता है। साथ ही रेस्पोडेंट्स भूमिहीन काश्तकार नही थे फिर भी आवंटन किस आधार पर किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RLW 2007 (1) पेज 242, RRT 2009 (1) पेज 124, RRT 2019 (2) पेज 1324, RRD 2005 पेज 629 एवं RRD 2017 पेज 393 हवाला प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेंट्स संख्या 1 व 2 के नाम से दिनांक 31.12.2010 को आवंटन की गई भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त कराने एवं अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट के नियम 14(4) के प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि ग्राम डोली, तहसील सागवाडा की आराजी नम्बर 857 रकबा 6 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 को गैर खातेदारी अधिकारों से आवंटित की गयी है। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 को 3 वर्ष बीत जाने के बाद शर्तो की पालना करना मानते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए तथा खातेदारी अधिकार मिलने के बाद उक्त भूमि का हस्तांतरण रेस्पोडेंट संख्या 3 के

नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किया जाकर कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 3 को सिपुर्द कर दिया तथा कुलिया विक्रय राशि प्राप्त कर उक्त जमीन का विक्रय पत्र स्टाम्प पर निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया गया उसके काफी समय बाद अपीलांट ने 14(4) का प्रार्थना पत्र पेश किया इस मामले में रेस्पोडेंट द्वारा एक वाद भी स्थाई निषेधाज्ञा का उप जिला कलक्टर, सागवाडा के यहां पेश किया तथा इस मामले में अपीलांट के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कर रखी है, ऐसी स्थिति में यह अपील इसी आधार पर काबिल निरस्त है। रेस्पोडेंट को अकेले को जमीन का आवंटन नहीं हुआ जबकि 150 से अधिक लोगों को उसी दिन आवंटन हुआ है, तथा आवंटन कमेटी पूर्ण थी तथा आवंटन कमेटी में कौन कौन सदस्य मौजूद थे, इसकी सूची भी पेश की है तथा कुछ जमीन आवंटन के बाद रेस्पोडेंट द्वारा क्रय की है जिसकी सच्ची प्रतिलिपी रेस्पोडेंट ने पेश की है एवं जमाबंदी की प्रति भी पेश की है तथा मौके पर रेस्पोडेंट का कब्जा है उसके फोटो व सिडी भी पेश की है तथा उक्त दस्तावेजात प्रकरण से से संबंधित होने से न्यायालय हाजा द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में रेकर्ड पर रखने के आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट की अंतिम बहस है कि इस मामले में रेस्पोडेंट को तीन वर्ष बीतने के बाद व शर्तो की पालना करने से गैर खातेदारी अधिकार से खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है। यह खातेदारी अधिकार सन् 2014 में ही प्रदान कर दिये गये हैं जिसे भी 6 वर्षो का समय हो चुका है तथा अपीलांट ने उसके 6 वर्षो बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि क्योंकि अपीलांट का किसी प्रकार का कोई केस नहीं बनता है। अपीलांट ने केवल मात्र रेस्पोडेंट को जलील व परेशान करने की गरज से कथित प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत ऐसा प्रार्थना पत्र लाई नहीं होता है उसका कोई हक अधिकार हो तो वह राजस्थान टिनेंसी एक्ट के तहत ही कार्यवाही कर सकता है। रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है। इस भूमि का विक्रय भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 3 को किया जा चुका है ऐसी स्थिति में कब्जा भी रेस्पोडेंट संख्या 3 को सिपुर्द किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 3 का कब्जा होकर वही मालिक काबिज है। इस मामले में रेस्पोडेंट ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी अपीलांट के विरूद्ध पेश किया है तथा उसमें अस्थाई निषेधाज्ञा भी

जारी है ऐसी स्थिति में भी अपीलांट नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इस मामले में प्रार्थी ने अपील में वो आधार भी लिये जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं लिए गए है। रेस्पोडेंट भूमिहीन काश्तकार है जैसा कि आवंटन फार्म के पीछे की तरफ पटवारी हल्का की रिपोर्ट मौजूद है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पास भूमि बहुत कम है उसके हिस्से में भूमि कम आती है व भूमिहीन काश्तकार है तथा उसी अनुसार भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निरस्त किया गया है तथा रेस्पोडेंट ने अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में जो दस्तावेज पेश किए है उससे यह प्रकट होता है कि आवंटन कमेटी पूर्ण थी जैसा कि आवंटन कमेटी के सदस्यों की सूची पेश की गयी है तथा उस दिन रेस्पोडेंट के अलावा 160 व्यक्तियों के साथ देवजी को भी जमीन का आवंटन मजमेआम में हुआ था तथा आराजी नम्बर 157 में से चार अन्य व्यक्तियों को भी जमीन का आवंटन किया गया था, उसी अनुसार आवंटन आदेश जारी किया गया था तथा आवंटन के बाद कुछ जमीन रेस्पोडेंट ने खरीदी उसे भी आवंटन के समय की बताकर भूमिहीन नहीं होना साबित कराने की कोशिश अपीलांट द्वारा की गयी हैं जो कि अतिरिक्त साक्ष्य में पेशशुदा विक्रय पत्र व जमाबंदी से स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन रेस्पोडेंट ने आवंटन के बाद खरीदी है तथा आवंटन के दिन अपीलांट द्वारा उक्त जमीन का आवंटन करने बाबत कोई फार्म पेश नहीं किया क्योंकि उस समय अपीलांट के पास बहुत सारी जमीने थी तथा वे भूमिहीन काश्तकार नहीं थे एवं ग्राम डोली के 50 अन्य व्यक्तियों को भी रेस्पोडेंट के साथ मजमेआम में आवंटन हुआ था तथा अपीलांट्स भी मौके पर मौजूद थे परन्तु वे भूमिहीन काश्तकार नहीं होने से कोई प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु आवंटन कमेटी के समक्ष पेश नहीं किया था तथा उन्हें रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हक में किए गए आवंटन की पूर्ण जानकारी थी एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपीलांट द्वारा आपसी अदावट के कारण गलत कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जिसे न्यायालय ने परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा उक्त जमीन का विक्रय भी रेस्पोडेंट द्वारा अन्य को कर दिया गया था एवं खातेदारी मिलने के बाद लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत आवंटन निरस्ती की कार्यवाही नहीं की जा सकती है तथा खातेदारी मिलने के बाद केवल

मात्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है। उक्त मुख्य कानूनी बिन्दु के आधार पर अधीनस्थ न्यायालया ने जो आवंटन बहाल रखा वह बिल्कुल सही है। जब प्रार्थी/अपीलांट का विपक्षी/रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार मिलने से नियम 14 (4) के प्रावधान ही लागू नहीं होते है इस मामले में तो रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 को खातेदारी अधिकार मिल चुके है उसके बाद विवादित भूमि का हस्तांतरण रेस्पोडेंट संख्या 3 को किया जाकर कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 3 को सिपुर्द कर दिया गया है ऐसी स्थिति में नियम 14(4) के प्रावधान लागू नहीं होते है इस बिन्दु को राजस्थान उच्च न्यायालय ने सही निर्णित किया है तथा जब नियम 14(4) के प्रावधान ही लागू नही होते है तो विपक्षी संख्या 1, 2 का आवंटन किसी भी सूरत में निरस्त नहीं किया जा सकता है तथा इस मामले में अन्य किसी बात को देखा ही नहीं जा सकता है वैसे इस मामले में कब्जा रेस्पोडेंट का ही है जैसा कि आवंटन की पत्रावली में कब्जा सिपुर्द करने का पर्चा मौका बना रखा है साथ ही शर्तो की पालना करने से ही खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है एवं भूमिहीन काश्तकार होने से ही पटवारी रिपोर्ट ली जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 के हक में नोशनल शेयर से बहुत कम भूमि आती है जिससे पटवारी हल्का ने भूमिहीन काश्तकार होने के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट की है ऐसी स्थिति में कथित आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 को नियमानुसार किया गया है तथा यह आवंटन स्पष्ट रूप से काबिल बहाली के है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः CLT 2003 (S.C.) पेज 120, RRT 2018 (1) पेज 299, RBJ 2019 पेज 694, RRT 2009 (1) पेज 453, RBJ 2009 पेज 258, RBJ 2009 पेज 789 RBJ 2019 पेज 77, RBJ 2018 पेज 539, RBJ 2016 पेज 102, RBD 1986 पेज 137, RBJ 1995 पेज 780, RBD 1987 पेज 359, RBJ 2008 पेज 435 एवं RBJ 1995 पेज 735 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

राजकीय अभिभाषक द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2020 को विधिपूर्ण होने से अपील अपीलांट गुणावगुण पर निर्णित करने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर

निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय दिनांक 16.03.2020 को किया गया है तथा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.06.2020 को पेश हुई है। अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन में यह वर्णित किया गया है कि न्यायालय निर्णय की सूचना अधिवक्ता द्वारा अपीलाण्ट को देने के बाद दिनांक 24.03.2020 से सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन हो जाने के कारण अपीलाण्ट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका व निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं कर सका। इसके पश्चात् लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अपीलाण्ट अधिवक्ता से मिला व नकल निर्णय लेने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 08.06.2020 को निर्णय की प्रति प्राप्त होने के बाद अपीलाण्ट ने अधिवक्ता से विधिक राय लेकर उदयपुर आकर अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट द्वारा दिये गये आधार कोविड–19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण व तर्कसंगत है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा उठाये गये उजरात सारभूत नहीं है, अतएवं न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट प्रार्थी द्वारा रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 को दिनांक 31.12.2010 को अन्य आराजीयात कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा के साथ आराजी नं. 857 के आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय में हुए निर्णय में जैसा हमारे द्वारा उपर विवेचन किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट प्रार्थी के समस्त उजरात पर विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है परन्तु हमारे समक्ष समस्त तथ्य व रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व इस पत्रावली में उपलब्ध है, अतएव हम अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय की अंतिमता एवं तात्विकता तथा अपीलाण्ट के समस्त उज्र एवं रेस्पोंडेण्ट के बचाव पर विवेचन कर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व यहां पर उठाये गये उज्रों में से उसका सर्वप्रथम उज्र यह है कि वह आराजी नं. 857 का पड़ोसी है तथा उस भूमि पर उसका कब्जा है तथा उसके पानी का ढाल है तथा उक्त आराजी नं. 857 पर रास्ता भी है।

अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपना कब्जा होने बाबत् कोई साक्ष्य अथवा अतिक्रमण का नोटिस पेश नहीं किया है तथा उक्त भूमि का पड़ोसी होने के कारण वह आवंटन की पात्रता रखता हो ऐसा कोई कानून नहीं है साथ ही उसने आवंटन हेतु आवेदन किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। इसी प्रकार पानी का ढाल उसकी भूमि की तरफ आराजी नं. 857 से संबंधित हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है, तद्नुसार अपीलाण्ट के कब्जे, रास्ते व ढाल संबंधित उजरात बाबत् कोई साक्ष्य अथवा आधार उपलब्ध नहीं है, अतएवं इस आधार पर प्रार्थी अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि आराजी नं. 857 की 6 बीघा भूमि को राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से गुपचुप तरीके से विधि विरूद्ध बिना कोरम के उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोंडेण्ट को किया गया है।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड एवं इस न्यायालय में पेशशुदा दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा यह पाया कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में आवेदन पर संबंधित तहसीलदार व सरपंच के हस्ताक्षर उपलब्ध है। वहीं रेस्पोंडेण्ट द्वारा इस न्यायालय में दौराने अपील जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उसमें कार्यवाही विवरण में तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं सरपंच की उपस्थिति में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक होने एवं विवादित आराजीयात का रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 को आवंटन होना पूर्णतः स्पष्ट है, अर्थात् आवंटन में हालाकि आवेदन पर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है परन्तु कार्यवाही विवरण के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति में तहसीलदार, विकास अधिकारी व सरपंच उपस्थित होना स्पष्ट है। उक्त आवंटन दिनांक को कुल 161 आवंटन हुए हैं जिसमें से इस गांव में एवं इस आराजी में भी कई व्यक्तियों को आवंटन हुआ है, अतएवं आवंटन समिति में कोरम गणपूर्ति नहीं हुई हो, ऐसा तथ्य स्वीकार्य नहीं है।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा एक अन्य उज्र यह उठाया गया है कि अपीलाण्ट संबंधित ग्राम, ग्राम पंचायत एवं तहसील का निवासी नहीं है।

अपीलाण्ट का यह दायित्व था कि वह वर्णित करें कि विवादित आराजीयात में आवंटन हेतु अन्य वरीय पात्र उपलब्ध थे एवं उन्हें वंचित

करते हुए अथवा अपीलाण्ट को वंचित करते हुए उक्त आवंटन किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है, तद्नुसार आवंटी रेस्पोंडेण्ट का उस गांव के नहीं होने से उसे आवंटन नहीं किया जा सकने का विधिक आधार नहीं माना जा सकता।

अपीलाण्ट का इन सबसे प्रमुख उज्र यह है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में सिर्फ डोली गांव में 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि होना वर्णित किया है जबकि उसके पास अन्य काफी भूमि है, जिसकी जानकारी नहीं ली गयी।

यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा आवंटी रेस्पोंडेण्ट की अन्य भूमियों पर उज्र नहीं किया है। सारभूत रूप से रेस्पोंडेण्ट आवंटी द्वारा भी अपनी समस्त भूमियों का वर्णन नहीं दिया है परन्तु यह देखने योग्य है कि क्या आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटी रेस्पोंडेण्ट बवक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार था अथवा नहीं ? प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट के खाते की निम्न भूमियों का विवरण किया है एवं उस आधार पर संबंधित जमाबंदियों की प्रतियां पेश की है – (अपीलीय न्यायालय में भी पुनः इन जमाबंदियों में से कुछ जमाबंदी पेश की गयी है) (अपीलांट के स्वत्व की भूमिया निम्नानुसार है)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवार हल्का	भू.अ. निरीक्षक वृत	खाता संख्या	आराजी नं0	रकबा	हिस्सा
01	डोली	गामड़देवकी	पाडवा	113	859, 866/1	0.2346 0.0080	सम्पूर्ण
02	डोली	गामड़देवकी	पाडवा	115	2917/1044	0.9708	सम्पूर्ण
03	डोली	गामड़देवकी	पाडवा	112	2765/1044	0.3236	सम्पूर्ण
04	डोली	गामड़देवकी	पाडवा	116	2915/1044	0.8090	सम्पूर्ण
05	डोली	गामड़देवकी	पाडवा	369	किता–16	1.32235	1/2
06	धाणी खजूर	भेवडी	बनकोड़ा	72	किता–3	0.03076	1/5
07	धाणी खजूर	भेवडी	बनकोड़ा	44	2017	0.1456	सम्पूर्ण
08	धाणी खजूर	भेवडी	बनकोड़ा	29	2020	0.02	1/2
09	धाणी खजूर	भेवडी	बनकोड़ा	32	2117	0.00108	1/15
योग :–						**3.84579**	

उपरोक्त समस्त आराजीयात का योग 3.84579 होता है। दौराने अपील रेस्पोंडेण्ट द्वारा 2 पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रतियां पेश की है जिनसे यह स्पष्ट आता है कि आवंटन दिनांक 31.12.2010 के बाद आवंटी रेस्पोंडेण्ट द्वारा 2917/1044 रकबा 0.9708 हैक्टे. (6 बीघा) भूमि दिनांक 19.03.2015 को क्रय की गयी है। इसी प्रकार रेस्पोंडेण्ट आवंटी द्वारा आराजी नं. 2915/1044 रकबा 0.8090 हैक्टे. दिनांक 21.10.2014 को क्रय की गयी है, अर्थात् दोनों आराजीयात का कुल रकबा 1.7798 हैक्टे. होता है अर्थात् यह भूमि बवक्त आवंटन, आवंटी रेस्पोंडेण्ट के पास उपलब्ध नहीं थी अर्थात् रेस्पोंडेण्ट के पास बवक्त आवंटन 2.06599 हैक्टेयर भूमि का वह खातेदार रहता है तथा उसे कुल साढ़े 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है जो हैक्टेयर में 1.6989 बनता है अर्थात् पूर्व से धारित भूमि (बवक्त आवंटन) 2.06599 हैक्टे. एवं आवंटित भूमि 1.6989 को मिलाकर 3.7688 हैक्टेयर भूमि बनती है, जो आवंटन नियम 1970 के नियम 13 के तहत पूर्व से धारित एवं आवंटित किये जाने वाली भूमि 4 हैक्टेयर होने की सीमा के अंदर है (कम है) अर्थात् आवंटी बवक्त आवंटन भूमिहीन नहीं हो, ऐसा अपीलाण्ट के दायित्वाधीन उसके द्वारा प्रमाणित नहीं करवाया जा सका है। आवंटन गुपचुप अथवा **Fraud** एवं **Misrepresentation** से करवाया गया हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है।

अपीलाण्ट ने अपील के दौरान यह भी तथ्य वर्णित किया है कि यह भूमि ऑक्यूपाइड भूमि नहीं थी क्योंकि उस पर अपीलाण्ट का कब्जा था।

हमारे द्वारा जैसा उपर वर्णित किया गया है, अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने की कोई साक्ष्य हीं नहीं है तथा उक्त राजकीय भूमि को ऑक्यूपाइड मानने का कोई आधार ही उपलब्ध नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा जो विभिन्न न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी है, उसमें **Fraud** एवं **Misrepresentation** होने एवं आवंटन किसी भी स्तर पर खारिज किये जाने के न्यायिक दृष्टान्त है। इस प्रकरण में **Fraud** एवं **Misrepresentation** का कोई तथ्य प्रकट नहीं होता, अतएवं अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में एवं अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गयी नजीरें प्रासांगिक नहीं है। इसके विपरीत रेस्पोंडेण्ट द्वारा जो

न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी है, वे प्रासांगिक है कि प्रकरण में वर्ष 2010 में आवंटन किया गया है। आवंटन वर्ष 2010 के बाद उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुका है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा इस भूमि का विक्रय भी कर दिया गया है अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन के 9 वर्षों बाद तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के 5 वर्ष बाद तकनीकी आधारों पर आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन पोषणीय नहीं होता। विशेष रूप से जबकि अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर उसके आवंटन आवेदन लम्बित होने, उसके अतिक्रमण की साक्ष्य होने, उसकी आवंटन पात्रता होने बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी हो तथा आवंटी रेस्पोंडेण्ट को किया गया आवंटन **Fraud** एवं **Misrepresentation** के आधार पर किये जाने को प्रमाणित नहीं किया गया हो, ऐसी परिस्थिति में विधिपूर्वक किया गया आवंटन को कयासी एवं अप्रमाणित आधारों पर खारिज नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हालांकि सभी आवेदन आधारों पर निर्णय पारित नहीं किया गया है परन्तु अपीलाण्ट प्रार्थी के समस्त आधारों का विवेचन किये जाने के बाद हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के तात्विक एवं अंतिम निर्णय में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर